इंडोरामा वेंचर्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड

भ्रष्टाचार निरोधक नीति

(निदेशक मंडल की बैठक नंबर 1/2014, दिनांक 12 जनवरी 2014 द्वारा अनुमोदित)

संशोधन 1
(निदेशक मंडल की बैठक नं .2 / 2015, दिनांक 20 फरवरी 2015 द्वारा अनुमोदित)

संशोधन 2
(निदेशक मंडल की बैठक No.4 / 2016, दिनांक 11 अगस्त 2016 द्वारा अनुमोदित)

विषय - सूची

परिचय 1

उद्देश्य 1

विस्तार 1

परिभाषा 1

जिम्मेदारियां 2

नीति के दिशानिर्देश 2

उपहार और आतिथ्य.. 2

प्रक्रियाएं 3

रोजगार प्रक्रियाएं.. 3

प्रशिक्षण 3

सूचना प्रक्रिया 3

अनुशासनात्मक कार्यवाही 4

भ्रष्टाचार निरोधक नीति

परिचय

इंडोरामा वेंचर्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड अपने वैश्विक कारोबार को ईमानदारी, निष्पक्षता, रिश्वतखोरी, एवं भ्रष्टाचार रहित करने के लिए जवाबदेही के साथ प्रतिबद्ध है। इंडोरामा वेंचर्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड यह समझती है कि भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी कंपनी की छवि, साख व स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है अत: कंपनी इस भ्रष्टाचार निरोधक नीति के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध नियमों के अनुरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य इंडोरामा वेंचर्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड और उसकी सहायक कम्पनियों में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उचित प्रणाली व प्रक्रियाएं निर्धारित करना है।

विस्तार

यह नीति कंपनी के निदेशकों, प्रबंधन, कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं और कंपनी की ओर से कार्यवाही करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों, सहायक कम्पनियों के कर्मचारीगणों, संयुक्त उद्यम एवम् सहायक कंपनियों, समस्त हितधारकों, माल पूर्ति करने वालों व ग्राहकों इत्यादि पर लागू होती है । यह नीति रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार रोधी स्थानीय कानूनों का हिस्सा मानी जायेगी और यदि यह नीति किसी स्थानीय कानून से भिन्न मत रखती है तो ऐसी स्थिति में स्थानीय कानून ही लागू होगा ।

परिभाषा

"भ्रष्टाचार" का तात्पर्य रिश्वतखोरी, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, सत्ता का दुरुपयोग, गबन, अवैध रूप से धन कमाना अथवा इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों से है।

"**रिश्वत**" का तात्पर्य किसी को रिश्वत देना या देने का आग्रह करना, रिश्वत का भरोसा देना, रिश्वत की मांग करना, रिश्वत लेने या देने के लिए सहमत होना, किसी कार्य को करने के लिए अवैध तरीके से होने वाले या करने वाले वित्तीय लाभ से है ।

इसमें किसी सरकारी अधिकारी के कर्तव्य को करने, जल्दी करने व न करने अथवा इस नीति में लिखे किसी अन्य प्रकार के अवांछित लाभ भी शामिल हैं।

"**सम्बंधित कार्य अथवा गतिविधियों**" का तात्पर्य सार्वजनिक प्रकृति के सभी कार्य, कारोबार से सम्बंधित सभी गतिविधियाँ, किसी व्यक्ति के नियोजन के दौरान किये गये कार्य अथवा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा किये गये कार्य से हैं ।

जिम्मेदारियाँ

कंपनी के प्रबंध निदेशक मंडल इस भ्रष्टाचार विरोधी नीति के प्रभावी योजना, क्रिर्यान्वयन, लागू करने और संचालन हेतु उत्तरदायी हैं । कंपनी का प्रबंधन मंडल इस नीति की क्रिर्यान्वयन की जिम्मेदारी मंडल की किसी अन्य उप समिति अथवा प्रबंधन समूह को दे सकते हैं यदि वह उक्त समिति अथवा समूह द्वारा इस नीति को पूर्णतया समझने और कॉर्पोरेट संस्कृति में तर्निहित करने में सक्षम समझती है।

कंपनी प्रबंधन का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि भ्रष्टाचार को रोकने हेतु प्रभावी तंत्र कार्य कर रहा है। कम्पनी का आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग इस तंत्र की समय - समय पर जाँच करेगा और लेखा परीक्षण समिति को रिपोर्ट देगा।

कंपनी अपने परिचालन और वित्तीय नियंत्रण में कंपनी के खिलाफ भ्रष्ट कार्यों के जोखिम को कम करने लिए उचित कदम उठाने हेतु प्रतिबद्ध है।

रिश्वतखोरी अथवा भ्रष्टाचार से सम्बंधित जोखिम की जाँच लेखा परीक्षण समिति द्वारा की जाएगी एवं यह समिति इस नीति की प्रत्येक वर्ष आन्तरिक समीक्षा करेगी और इस नीति के प्रभावी रहने को सुनिश्चित करेगी। जहाँ आवश्यक हो वहाँ यह समिति निदेशक मंडल को इस नीति में आवश्यक संशोधन के लिए सिफारिश करेगी।

नीतिगत दिशानिर्देश

कंपनी स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार की रिश्वतखोरी को प्रतिबंधित करती है जिसमे किसी बिचौलिए, व्यापारिक साझेदार, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक पार्टी, किसी कार्य अथवा निर्णय को प्रभावित करने हेतु प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से रिश्वत लेने या देने अथवा आग्रह करने से है।

उपहार और आतिथ्य:

कंपनी विभिन्न संस्कृतियों के अनुरूप उपहार और आतिथ्य सम्बंधित रीति रिवाजों का सम्मान करती है। एक वैश्विक कंपनी होने के नाते इंडोरामा वेंचर्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड अपने प्रत्येक व्यापारिक इकाई को यह अधिकार प्रदान करती है कि स्थानीय रीति रिवाजों के अनुरूप उपहार व आतिथ्य स्वीकार करने एवं प्रदान करने हेतु ऐसे नियम व सीमाएं निर्धारित करे जो कि अवैध प्रकृति की न हों। इस संदर्भ में व्यापारिक संबंधो को मजबूत करने हेतु सामान्य व उचित प्रकार के आतिथ्य स्वीकृत है। परन्तु प्रत्येक व्यापारिक ईकाई अनुचित अथवा अवैध आतिथ्य व उपहार से सम्बंधित स्थानीय नियमो व कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगीं।

प्रत्येक कर्मचारी द्वारा आतिथ्य स्वीकार करने या आग्रह करने की स्थिति में अपने प्रबंधक को सूचित करना अनिवार्य है। संशय की स्थिति में कर्मचारी आतिथ्य स्वीकार करने या आग्रह करने हेतु अपने प्रबंधक को अवश्य सूचित करेगा हालाँकि प्रत्येक उपहार अथवा आतिथ्य की कीमत 6,000/- रूपयें से अधिक नहीं होनी चाहियें ।

प्रक्रियाएं

रोजगार प्रक्रियाएं

रोजगार आवेदकों की उनके आवेदन व साक्षात्कार के दौरान यह जाँच की जाएगी कि वह कंपनी की भ्रष्टाचार विरोधी नीति के अनुपालन हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं।

नए कर्मचारियों को कंपनी की भ्रष्टाचार विरोधी नीति से अवगत कराया जाएगा ताकि वह इसका महत्व समझें और भ्रष्टाचार को रोकने हेतु नीति का अनुपालन करें।

इस संदर्भ मे यदि कोई मतभेद हो तो कर्मचारियों द्वारा प्रबंधकों को सूचित करना आवश्यक है और प्रबंधकों को ऐसे मतभेदों को जो कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का जोखिम रखते हों की पर्यवीक्षा करनी होगी।

प्रशिक्षण:

कंपनी अपने और अपनी प्रत्येक इकाई से सम्बंधित कर्मचारीयों के भर्ती के समय एवं उसके बाद सतत रूप से इसका प्रशिक्षण देंगी ताकि वह भ्रष्टाचार के तरीकों, भ्रष्ट कार्यो में लिप्तता के जोखिम व उनके निवारण तथा इस संदर्भ में स्थानीय कानूनों व कंपनी की नीति निर्देशों से अवगत रहे ।

सूचना प्रक्रिया:

कंपनी में अनैतिक कार्यों अथवा भ्रष्टाचार के बारे में सूचित करने की प्रक्रिया इस प्रकार है कि यदि किसी को भी कंपनी की नीति के विरुद्ध सूचना मिलती है या उल्लंघन की संभावना लगती है तो वह निम्नलिखित लोगों में से किसी एक को सूचित करेगा।
अपने वरिष्ठ प्रबंधक, अधिकारी, सूचना समिति, अनुपालना विभाग व शिकायत सूचना समिति के सदस्यों अथवा ethics@indorama.net पर ई मेल कर सकते हैं।

अगर शिकायत किसी उपरोक्त किसी सदस्य या समीक्षक समिति के बारे में है तो independentdirectors@indorama.net पर ई मेल कर सकते है । ऐसी प्रत्येक सूचना गोपनीय रखी जायेगी ।

अनुशासनात्मक कार्रवाई

ऐसा कोई भी कर्मचारी जो कि रिश्वतखोरी अथवा भ्रष्टाचार मे लिप्त हुआ हो अथवा जाँचकर्ता को गलत सूचना देता पाया गया हो अथवा सूचना छुपाता हो तो वह स्थानीय कानून के तहत दोषी माना जाएगा और कंपनी स्थानीय कानून के अनुरूप उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी।

यह नीति हमारे हितधारकों पर भी लागू होती है यदि उनमें से कोई भ्रष्टाचार विरोधी नीति का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसका अनुबंध समाप्त या परिवर्तित किया जा सकता है।

यदि इस नीति का कोई नियम किसी स्थानीय कानून से मतभेद उत्पन्न करता है तो उक्त स्थानीय कानून ही प्रभावी माना जायेगा ।